सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202
Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक C–539/स0क0/छात्र0/2021–22 दिनॉक–सितम्बर–17.09.2021 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जपनदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 68 /सूचना/2021 दिनांक– 20/09/2021

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक महोदय– अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

1 कुल सचिव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

2–जिला विद्यालय निरीक्षक
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक C- 539 / स0क0 / छात्र0 / 2021–22 दिनांक सितम्बर - 17.09.2021

विषय– वित्तीय वर्ष 2021–22 में कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत की कक्षाओ से सम्बन्धित पाठयकमों का मास्टर डाटावेस तैयार करने, सत्यापन करने लॉक करने एवं छात्रो को छात्रवृत्ति ओवदन वितरण हेतु संशोधित समय सारणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–109 / 2021 / 2666 / 26– 3–2021–4(358) / 07 टी.सी.।।। दिनांक 16 सितम्बर 2021 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करे जिसके कम में शैक्षिक सत्र 2021–22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटावेस तैयार करने, सत्यापन करने लॉक करने करने हेतु संशोधित समय–सारणी निर्गत की गई है। (पत्र के साथ सलग्न) जिसके द्वारा अध्ययनरत छात्र / छात्राओ को छात्रवृत्ति वितरण हेतु निर्गत संशोधित समय–सारणी का प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021–22 में कक्षा 11–12 अन्य दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत का समयान्तर्गत कियान्वयन कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिन विद्यालयो ने अपना मास्टर डाटा लॉक नही किया है वे विद्यालय निर्धारित समयावधि दिनांक 17 सितम्बर, 2021 से 27 सितम्बर, 2021 तक अपना मास्टर डाटा लॉक कर ले। उक्त निर्धारित समयावधि में अगर कोई भी विद्यालय अपना मास्टर डाटा लॉक नही करता है तथा आपके विद्यालय के पात्र छात्र / छात्राए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित होते है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके विद्यालय / संस्था का होगा।

अतएव उपरोक्त संशोधित समय–सारणी पत्र के साथ सलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओ को संसूचित कराते हुये विद्यालयी सूचना पट्ट / समाचार पत्रो आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये समय–सारणी के अनुसार वांछित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

सलग्नक–यथोपरि

भवदीय,
डॉ0 (राहुल गुप्ता)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

पृष्ठाकंन सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक, समाज कल्याण बस्ती, मण्डल बस्ती।
5. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि छात्रहित में इसे समस्त हिन्दी / उ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि छात्रहित में उक्त विज्ञप्ति को जनप सिद्धार्थनगर की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
7. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय / कलेक्ट्रेट / विकास भवन आदि पर चस्पा हेतु।
9. समस्त शिक्षण संस्थाये अपने संस्था के सूचना पट्ट पर चस्पा एवं व्यापक प्रचार प्रसार करे।

17/09/2021

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

संख्या-106 / 2021 / 2666 / 26-3-2021-4(358) / 07 टी.सी. III

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर 2021

विषय: **वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1091 / स0क0 / शिक्षा-अ / 7 / 52 / 2021-22, दिनांक-09.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2021-22 में मास्टर डाटा को लॉक करने हेतु संस्थाओं, विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सम्बन्धित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष तथा योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति के लिए समयावधि विस्तारित करने हेतु संशोधित समय-सारिण निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में शासनादेश संख्या-84 / 2021 / 1868 / 26-3-2021-4 (358) / 07टी0सी0-III दिनांक 12-07-2021 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021-22)	संशोधित समयावधि कक्षा 11-12 एव अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021-22)
1	2	4	5
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर / अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, पाठ्यकवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते	18 अगस्त 2021 तक	17 सितम्बर 2021 से 27 सितम्बर 2021 तक

उ0 निदे0
NIC व जनपदों को भेजें
16/09/21
JDW
16/9/2021

	हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।		
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3–प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ–226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	31 अगस्त 2021 तक	17 सितम्बर 2021 से 27 सितम्बर 2021 तक
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा मे सम्पूर्ण सूचनाये भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	15 सितम्बर 2021 *(नोटः–राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता हैं।)*	17 सितम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंगएजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	19 अगस्त 2021 से 16 सितम्बर 2021 तक	28 सितम्बर 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक
2ए	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	17 सितम्बर 2021 से 05 अक्टूबर 2021 तक	12 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक
2बी	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यकम,	17 सितम्बर 2021 से 05 अक्टूबर 2021 तक	01 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक

	पाठ्यकम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।		
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय / अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यकम, पाठ्यकम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	17 सितम्बर 2021 से 05 अक्टूबर 2021 तक	12 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक

3— अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021–22 में दशमोत्तर योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0—106 /2021/2666 (1)/26–3–2021 तद्दिनांक:—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2— प्रमुख सचिव / सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण / वित्त / नियोजन / मा0शिक्षा / उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / व्यवसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8— निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

D P Dwivedi New G O 2021-22